



No 1960

# संस्थाओं के निबन्धन का प्रमाण-पत्र

( ऐक्ट 21, 1860 )

संख्या 136.

वर्ष 1995-1996

मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि **हनुमान प्रसाद ग्रामीण विकास सेवा-समिति** ।



सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 21, 1860 के अधीन आज यथावत् निबन्धित हुआ/हुई ।

आज तारीख **बीस** मास **मई** वर्ष **उन्नीस सौ पचास** को पटना में मेरे हस्ताक्षर के साथ दिया गया ।

वास्ते, महानिरीक्षक, निबन्धन, बिहार, पटना ।

**INCOME TAX PAN SERVICES UNIT**  
(Managed by Unit Trust of India Investor Services Ltd.)  
Plot No. 3, Sector 11, Post Bag No. 20, CBD Belapur,  
Navi Mumbai - 400 614.

The Income Tax Department takes pleasure in informing that the PAN allotted to you is :

**AAATH4097A**

and the PAN card is enclosed herewith. Further, for filing the return of income, please contact

**ITO WD-1, MUZF.**

Quoting of PAN on return of income and challans for payment of taxes is necessary to ensure accurate **credit of taxes paid by you and faster processing** of return of income. Moreover, quoting PAN on all other communications with the department will help to improve taxpayer services.

We may inform that it is **mandatory to quote PAN** in several transactions specified under the Income Tax Act, 1961. For further details of such transactions, reference is invited to rule 114B of the Income Tax Rules, 1962 read with section 139A of the Income Tax Act, 1961.

In the unlikely event of **more than one PAN** being allotted, this fact should be brought to the notice of your Assessing Officer, as **possessing or using more than one PAN is against law** and may attract **penalty of up to Rs. 10,000/-**.

Any errors in the data printed on your PAN Card may be brought to the notice of IT PAN Services Unit at the address given above and on the reverse of the PAN Card.

BundleID: UPC2174 / DespatchID :5274274

M/s HANUMAN PRASAD GRANIN  
HANUMAN PRASAD GRAMIN VIKAS SE  
MITI  
SAKRI SARIYA  
KURHANI  
MUZAFFARPUR  
BIHAR 844127



(This being a computer-generated letter, no signatures are required)

भारत सरकार  
कार्यालय आयकर आयुक्त, मुजफ्फरपुर।

ट्रस्ट/संस्था का नाम

हनुमान प्रसाद गौरीजी प्र विकास

पता

सेवा समिति

सकरी सरैया मुजफ्फरपुर

आदेश की तारीख

16/02/03

धारा 12ए के अन्तर्गत आदेश

संस्था के द्वारा दाखिल आवेदन के अनुसार संस्था की स्थापना दिनांक 20/05/1995 के ज्ञापन द्वारा की गई है। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12ए के अन्तर्गत पंजीकरण हेतु दाखिल दिनांक 17-01-2003 का आवेदन विहित प्रपत्र में है तथा अनुबद्ध समय सीमा में है/समय सीमा से 84 महीना बाद का है। चूंकि ट्रस्ट/संस्था द्वारा पंजीकरण हेतु आवेदन के विलंब का पर्याप्त कारण नहीं था/पर्याप्त कारण था, इसलिये इस विलंब से मुक्त किया जाता है/विलंब से मुक्त कर दिया गया है।

अतः इसे दिनांक 01-04-2002 के प्रभाव से पंजीकृत किया जाता है तथा धारा 12ए के अन्तर्गत इस कार्यालय में निर्वाह किये गये आवेदन संबंधी रजिस्टर में वर्ष 2002-03 के कम संख्या 72 में इसकी प्रविष्टि की जाती है।

हो

। गोपाल कमल ।

आयकर आयुक्त, मुजफ्फरपुर।

ज्ञापन सं० आ०आ०/मुज०/तक०/12ए/03-04/ 1851-52

दि० मुज०,

18/7/03

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

1. संयुक्त आ०आ०, परिक्षेत्र -1 एवं 2, मुजफ्फरपुर तथा परि०-3, दरभंगा।
2. सहायक आ०आ०, 2
3. आयकर अधिकारी का 1.10 मुजफ्फरपुर
4. आवेदक हनुमान प्रसाद गौरीजी प्र विकास

सेवा समिति सकरी सरैया

16/02/03

। एम० पी० द्विवेदी।

आयकर अधिकारी तक०।

कृते- आयकर आयुक्त, मुजफ्फरपुर।



संस्था का नाम

हनुमान प्रसाद ग्रामीण विकास सेवा समिति

पता

ग्राम एवं पोस्ट : सकरी सरैया,  
भाया : तुर्की, प्रखण्ड : कुढ़नी,  
जिला : मुजफ्फरपुर ।


आदेश की तारीख

28/09/2006

धारा 80G(5) के अन्तर्गत आदेश

हनुमान प्रसाद ग्रामीण विकास सेवा समिति, ग्राम एवं पोस्ट : सकरी सरैया, भाया : तुर्की, प्रखण्ड : कुढ़नी, जिला : मुजफ्फरपुर को दिये गये दान पर छूट आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80जी के अन्तर्गत दानकर्ता को उपलब्ध होगी जो विहित सीमा तथा शर्तों के अधीन होगी ।

यह छूट दिनांक 01.04.2006 से 31.03.2009 तक मान्य होगी ।



*(एस. के. सेन)*  
(एस. के. सेन)

आयकर आयुक्त, मुजफ्फरपुर ।

- नोट -
- 1 सनकृत को जारी किये गये रशीद में इस आदेश की संख्या एवं तारीख वर्णित करना आवश्यक है
  - 2 आय एवं व्यय के लेखा की विवरणी वार्षिक रूप से क्षेत्रीय आयकर अधिकारी के पास प्रस्तुत किया जाना चाहिये ।
  - 3 यदि संविधान में किसी प्रकार का संशोधन किया गया हो तो इसकी सूचना संकल्प की एक प्रति/न्याय के संशोधित कागजात के साथ इस कार्यालय को शीघ्र दी जानी चाहिये ।
  - 4 यदि पुनः नवीकरण अपेक्षित हो तो आय व्यय विवरणी के साथ इस कार्यालय में आवेदन दिया जाये

ज्ञापन सं० आ०आ०/मुज०/तर्क०/80जी(5)/2006-07/2852-53  
दिनांक, मुजफ्फरपुर, 28/9/2006

प्रतिलिपि प्रेषित :

- 1 आवेदक ।
- 2 आयकर अधिकारी - वार्ड - 1(1), मुजफ्फरपुर ।

अनुरोध है कि दस्त/संस्था द्वारा प्रस्तुत वार्षिक विवरण की जाच कर स्वयं को संतुष्ट कर लें कि यह दस्त/संस्था धारा 80जी(5) में निहित शर्तों को तथा इस विषय पर समय-समय पर जारी निर्देशों को पालन करती है। छूट के नवीकरण हेतु प्राप्त बाद के आवेदन की प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर अपने प्रतिवेदन को अपर आयकर आयुक्त के माध्यम से भेजें ।

( विरेन्द्र कुमार शिन्हा )